भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2374
(10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

सांसद आदर्श ग्राम

2374. श्रीमती मालविका देवी:

क्या**ग्रामीण विकास**मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गांवों में बेहतर स्वच्छता के लिए कदम उठाए हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार सांसद आदर्श ग्रामों में निधि आबंटन के लिए नए कदम उठाने अथवा नई योजनाएं बनाने की योजना बना रही है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है कि गांवों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए और उनका रखरखाव किया जाए क्योंकि गांवों में जल निकासी एक बहुत बड़ी समस्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ग): सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के उद्देश्यों में स्वच्छ व्यवहार की आदत डालना , प्रत्येक मकान और सभी सार्वजनिक संस्थानों में शौचालय उपलब्ध कराने और उनका उचित उपयोग सुनिश्चित करने, बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच , घरेलू नलों के माध्यम से पाइप द्वारा उपचारित पानी, उपयुक्त ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन विकास आदि का प्रावधान शामिल है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायतों और माननीय संसद सदस्यों के परामर्श से ग्राम विकास योजनाएं (वीडीपी) तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। इस समय , एसएजीवाई के अंतर्गत निधियों के आबंटन के लिए नई योजना बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****